संख्या-110/2022/1226/22-2-2020-17(465)/2020

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 31 जुलाई, 2022*

विषय:- जिला कारागार, हमीरपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अजीत कुमार पुत्र श्री श्यामबाबू, निवासी जनपद-हमीरपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-30277/प्रोबे-5-दया0 बैठक-28-11-2020 दिनांक 09-12-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, हमीरपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अजीत कुमार पुत्र श्री श्यामबाबू, जो कुण्डौरा, थाना-सुमेरपुर, जनपद-हमीरपुर का रहने वाला है। बंदी दहेज के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था। इसी कारण दिनांक-10.11.2008 को 02 सहअभियुक्तो के साथ मिलकर अपनी पत्नी व लगभग ढायी माह की पुत्री के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर एवं जलाकर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-10/2009, में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी, 302 व 3/4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट-02, हमीरपुर के दण्डादेश आदेश दिनांक 07.11.2016 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.09.2018 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 16.09.2019 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.11.2020 तक 12 वर्ष, 00 माह, 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 13 वर्ष, 02 माह, 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट ने बंदी कारित अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में आने, पूरे समाज को प्रभावित करने, रिहा होने पर पुन: अपराध कर सकने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति ने बन्दी द्वारा कारित जघन्य अपराध की प्रकृति एवं पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा समयपूर्व रिहाई संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी अजीत कुमार (बन्दी संख्या-206/16) पुत्र श्री श्यामबाबू, निवासी जनपद-हमीरपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-110/2022/1226(1)/22-2-2020 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर।

2-अधीक्षक, जिला कारागार, हमीरपुर।

3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।